न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 73/2022 जिला सीकर

1. बच्चन लाल पुत्र श्री सुवालाल, जाति यादव, उम्र– 48 वर्ष, निवासी गांव–कारेडा, पटवार हल्का, रायपुर पाटन, तहसील–पाटन, नीमकाथाना, जिला सीकर (राज0) मो0न0 7742532170

–अपीलान्टस

बनाम

1. गोकुलचन्द पुत्र बेगाराम यादव, उम्र–70 व ।, जाति यादव, निवासी गांव काचरेडा, तहसील–पाटन, नीमकाथाना, जिला–सीकर। (राज0)
2. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज0)
3. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर (राज0)
4. पटवारी हल्का, पटवार भवन रायपुर पाटन, तहसील–नीमकाथाना, जिला–सीकर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 06.10.2021

उपस्थित–
1. श्री सुमेर सिंह बडसरा, वकील अपीलान्ट
2. श्री श्यामबाबू पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 2 लगायत 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक –11.07.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 06.10.2021 के खिलाफ प्रा. पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 23.05.2022 को प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 गोकुलचन्द ने अधिनस्थ न्यायालय नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम काचरेडा पटवार हल्का रायपुर पाटन तहसील नीमकाथाना में स्थित भूमि ख.नं. 42, 60, 62 की खातेदारी आवेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अनावेदकगण की खातेदारी की भूमियां उक्त भूमियों के सटाकर स्थित है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु तहसीलदार के यहाॅ आवेदन किया। तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का ने सीमांकन करने हेतु दिनांक 14.06.2021 को मौके पर पहुॅचा एवं चाह ख.नं. 40 को मुस्तकिल बिन्दु कायम करते हुए आवेदक एवं अन्य की खातेदारी की भूमि की सीमाओं का निर्धारण किया गया। उक्त आराजी के अपीलान्ट पडौसी खातेदार हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गोकुलचन्द पुत्र बेगाराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार नीमकाथाना को राजस्व ग्राम काचरेडा पटवार हल्का रायपुर पाटन स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 42, 60, 62 की चर्तुसीमाओं की प्रार्थी एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर नवीन नक्शे के मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

14.06.2021 निर्विवादित रहने की स्थिति में पत्थरगढी करने के आदेश दिया गया।

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 06.10.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स श्री बच्चन लाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 06.10.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि भूमि हाल खसरा नम्बर 40, 41, 73, 74, 75 की खातेदारी प्रार्थी बच्चनलाल, प्रकाश, बाबुलाल, कैलाश, महेश कुमार, सुरेश कुमार पुत्र सुवालाल यादव राजस्व ग्राम–काचरेडा, पटवार हल्का रायपुर पाटन, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित है। जिसमें अपीलार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है, तथा अपीलान्ट व अन्य सह काश्तकार भूमि पर काबिज है व भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गोकुलचन्द पुत्र बेगाराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार नीमकाथाना को राजस्व ग्राम काचरेडा पटवार हल्का रायपुर पाटन स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 42, 60, 62 की चर्तुसीमाओं की प्रार्थी एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर नवीन नक्शे के मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2021 निर्विवादित रहने की स्थिति में पत्थरगढी करने के आदेश दिया गया। तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी चतुर्थ सीमाओं खातेदारी को कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा एक तरफा कार्यवाही की गई है। उपरोक्तानुसार उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला–सीकर द्वारा पारित आदेश की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा आदेश क्रमांक 4106–09 दिनांक 28.10.2021 पटवार हल्का और भू० निरीक्षक वृत रायपुर पाटन को पत्थरगढी ग्राम–काचरेडा खसरा नम्बर 42, 60, 62 का दिनांक 03.11.2021 को की जाकर पालना रिपोर्ट दिनांक 08.11.2021 कार्यालय में प्रस्तुत करने के बाद नोटिस दिया तथा सूचना अप्रार्थी गोकुलचन्द पुत्र बेगाराम यादव निवासी–काचरेडा को दिया गया था। इसके बाद दिनांक 22.04.2022 को कार्यालय तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश क्रमांक/भू.अ./22/224–25 दिनांक 22.03.2022 की पालना में पटवार हल्का और भू. निरीक्षक वृत रायपुर पाटन मौके पर ग्राम–काचरेडा के खसरा नम्बर 40, 41, 73, 74, 75 के मौके पर पहुंचकर सीमाज्ञान नाप करवाया गया। जिसे प्रार्थी खातेदार सीमाज्ञान से असंतुष्ट रहे। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2021 पटवारी व भू.निरीक्षक वृत पाटन रिपोर्ट पर असहमति होने पर हस्ताक्षर से इंकार किया गया था। अपीलार्थी को हल्का पटवारी और भू.निरीक्षक रायपुर पाटन और तहसीलदार नीमकाथाना सीमाज्ञान रिपोर्ट दी। प्रार्थी को कोई सूचना व जानकारी नहीं है एवं रिपोर्ट सीमाज्ञान में जो भी नक्शा बनाया गया है वह वर्तमान चालू नम्बर से भिन्न है। अप्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 42, 60, 62 के साथ साथ अपीलार्थी का खसरा नम्बर 40, 41, 73, 74, 75 का खातेदार है एवं खसरा नम्बर 41, 41 की सीमा मोड पर खसरा नम्बर 61 की पत्थरगढी करवाया चाहते हैं। अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बालाबाला ही बिना नोटिस दिये दिनांक 14.06.2021 को सीमाज्ञान करवा लिया। सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को निर्देशित किया गया था लेकिन तहसीलदार मौके पर नहीं गये न ही पडौसी खातेदारान् को कोई नोटिस दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण भूमि खसरा नं. 42, 60, 62 की आज्ञा प्रसारित की गई है किन्तु तहसीलदार द्वारा केवल विशिष्ट भू–भाग का सीमाज्ञान किया गया है। मौका रिपोर्ट में मुस्तकिल पाइन्ट खसरा नं. 40 को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कायम किया गया है। अप्रार्थी द्वारा गलत तरीके से साज करके, नोटिस दिये बिना एवं प्रार्थी की गैरमाजूदगी में सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार करवाई है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 06.10.2021 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम काचरेडा पटवार हल्का रायपुर पाटन तहसील नीमकाथाना में स्थित भूमि ख.नं. 42, 60, 62 की खातेदारी आवेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अनावेदकगण की खातेदारी की भूमियां उक्त भूमियों के सटाकर स्थित है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु तहसीलदार के यहाँ आवेदन किया। तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का ने सीमांकन करने हेतु दिनांक 14.06.2021 को मौके पर पहुँचा एवं चाह ख.नं. 40 को मुस्तकिल बिन्दु कायम करते हुए आवेदक एवं अन्य की खातेदारी की भूमि की सीमाओं का निर्धारण किया गया। उक्त आराजी के अपीलान्ट पडौसी खातेदार हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गोकुलचन्द पुत्र बेगाराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार नीमकाथाना को राजस्व ग्राम काचरेडा पटवार हल्का रायपुर पाटन स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 42, 60, 62 की चर्तुसीमाओं की प्रार्थी एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर नवीन नवशे के मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2021 निर्विवादित रहने की स्थिति में पत्थरगढी करने के आदेश दिया गया है। प्रार्थीगण ने नियमानुसार ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमाज्ञान अनुसार अपनी खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया है जिसका उसे अधिकार है। अपीलांट्स पडौसी खातेदार है एवं उनका प्रार्थी की खातेदारी की भूमि से कोई लेना–देना नहीं है ना ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलांट्स के खातेदारी अधिकार प्रभावित होते हैं एवं अपीलांट्स द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हमारी खातेदारी की भूमि के सीमाज्ञान से उन्हें किस तरह आपत्ति है। श्रीमान के समक्ष अपील में अपीलान्ट बच्चनलाल को अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 बनाया गया है। उनका वकालतनामा 19.07.2021 को पेश है। अतः इन्हें सुनवाई का मौका दिया गया है। दोनों पक्षों की बहस दिनांक 17.09.21 को सुनी है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली देख सकते हैं। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 14.6.2021 की है। दिनांक 22.4.2022 को पत्थरगढी के आदेश के बाद पुनः सीमाज्ञान हुआ है। जिसमे बच्चनलाल के हस्ताक्षर है। असंतुष्ट है पर उपस्थित है। संतुष्टि न हो तो क्या ? अपील में अपीलांट ने बेदखल करने एवं सींव को खुर्द बुर्द करने की नियत से श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी सहखातेदरान् को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 गोकुलचन्द ने अधिनस्थ न्यायालय नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम काचरेडा पटवार हल्का रायपुर पाटन तहसील नीमकाथाना में स्थित भूमि ख.नं. 42, 60, 62 की खातेदारी आवेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अनावेदकगण की खातेदारी की भूमियां उक्त भूमियों के सटाकर स्थित है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु तहसीलदार के यहॉ आवेदन किया। तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का ने सीमांकन करने हेतु दिनांक 14.06.2021 को मौके पर पहुॅचा एवं चाह ख.नं. 40 को मुस्तकिल बिन्दु कायम करते हुए आवेदक एवं अन्य की खातेदारी की भूमि की सीमाओं का निर्धारण किया गया। उक्त आराजी के अपीलान्ट पडौसी खातेदार हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गोकुलचन्द पुत्र बेगाराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार नीमकाथाना को राजस्व ग्राम काचरेडा पटवार हल्का रायपुर पाटन स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 42, 60, 62 की चर्तुसीमाओं की प्रार्थी एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर नवीन नक्शे के मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2021 निर्विवादित रहने की स्थिति में पत्थरगढी करने के आदेश दिया गया। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 रहा है। तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर के आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/1780–81 दिनांक 10.06.2021 की अनुपालना में पटवारी हल्का ने सीमांकन करने हेतु दिनांक 14.06.2021 को मौके पर पहुंचकर खसरा नम्बर 40 को मुस्तकिल बिन्दु कायम करते हुये आवेदक की खातेदारी की भूमि की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा पक्षकार बनाया गया है। उनकी बहस सुनकर ही पत्थरगढी के आदेश पारित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह विधिक प्रावधानों के तहत अपनी कृषि भूमि की पैमाइश एवं पत्थरगढी करा सकता है। रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपने विधिक अधिकारों के तहत् निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सूचित कर पत्थरगढी करने का आदेश दिया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि जाहिर नहीं होती है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2021 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

<u>**अतः आदेश हैं कि**</u> अपील अपीलकर्ता खारिज की जाती है। अतः अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 06.10.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/7/23

(असलम शेर खान)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

Scanned with OKEN Scanner